सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
ज्येष्ठ 18, बुधवार, शाके 1938–जून 8, 2016	
Jyaistha 18, Wednesday, Saka 1938–June 8, 2016	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

(क–ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, जून 6, 2016

जी.एस.आर.19 :–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये 23–07–2003 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 9 का संशोधन .– राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978 के नियम 9 के विद्यमान उप–नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(8) अध्यक्ष के रूप में आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के किसी सदस्य, सदस्यों के रूप में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव या उसका प्रतिनिधि, जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो, विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव या उसका प्रतिनिधि, जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो, और सदस्य–सचिव के रूप में निदेशक, अभियोजन से गठित समिति उन समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद–वर्ग पर पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं, और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों को अंतर्विष्ट करते हुए, इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर, एक सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर और/या

योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची उस पद प्रवर्ग, जिससे चयन किया गया है, के वरिष्ठताक्रम में व्यवस्थित की जायेगी।"

[संख्या. एफ.1(4) डीओपी/ए–2/93]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
ओ.पी. गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr-II)
NOTIFICATION
Jaipur, June 6, 2016

G.S.R.19 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Prosecution Service Rules, 1978, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Prosecution Service (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 23-7-2003.

2. Amendment of rules 9.- The existing sub-rule 8 of rule 9 of the Rajasthan Prosecution Service Rules, 1978 shall be substituted by the following, namely:-

"(8) A Committee consisting of the Chairman of the Commission or a Member thereof nominated by him as Chairman, ACS/Principal Secretary/Secretary to the Government in the Home Department, the Principal Secretary/Secretary to the Government in the Department of Personnel or his representative not below the rank of the Deputy Secretary to the Government, Principal Secretary to the Government in the Law Department or his representative not below the rank of the Deputy Secretary to the Government as members and the Director, Prosecutions as Member-Secretary, shall consider the cases of all the senior most persons who are eligible and qualified for promotion to the class of post concerned under these rules and shall prepare a list containing names of the persons found suitable on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, as per the criteria for promotion laid down in these rules equal to the number of vacancies determined under these rules. The list so prepared on the

basis of seniority-cum-merit and / or on the basis merit, as the case may be, shall be arranged in the order of seniority of the category of post from which selection is made."

[No. F 1 (4) DOP/A-2/93]
By Order and in the name of the Governor,
O.P.Gupta,
Jt.Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.